प्रेस नोट दिनांक 10.11.2024

थाना भुता जनपद बरेली।

थाना भुता बरेली पुलिस द्वारा थाना भुता पर पंजीकृत पुष्पेन्द्र की हत्या के अभियोग में प्रकाश में आये तीन अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

आवेदिका संगीता गंगवार द्वारा थाना भुता पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 5.11.2024 को अपने पति पुष्पेन्द्र पाल उर्फ पुष्पाल के साथ मोटरसाईकिल से समय करीब 4.00 बजे शाम अपने गाँव खरदाह से बरेली को आ रहे थे, तभी रास्ते में दौलतपुर पेट्रोल पम्प पर पहले से घात लगाये बैठे कुछ लोगों द्वारा अपराधिक षडयंत्र के तहत मेरे पति पर नाजायज तमंचो से जान से मारने की नीयत से ताबतोड़ कई फायर किये, जिससे मेरे पति बुरी तरीके से घायल हो गये और वही गिर गये जिससे वादिनी के पति की मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में थाना भुता बरेली पर मु0अ0सं0 447/2024 धारा 191 (2)/191 (3)/190/103(1)/61(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसमें घटना में सम्मिलित/नामित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

उच्चाधिकारियों द्वारा घटना के अनावरण हेतु पांच पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 10.11.2024 को मु0अ0सं0 447/2024 धारा 191 (2)/191(3)/190/103(1)/61(2) /351 (3) बीएनएस की विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.गुड्डू उर्फ भीमसेन पुत्र गोकिल प्रसाद निवासी चंदपुर ख्यालीराम थाना क्योलड़िया जिला बरेली उम्र 40 वर्ष 2.गंगेश पुत्र दामोदरदास उम्र 20 वर्ष एवं 3.अवधेश पुत्र नत्थूलाल निवासीगण ग्राम खरदाह थाना भुता जिला बरेली उम्र 31 वर्ष को बहादुरापुर से फरीदपुर भुता रोड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर पता चला कि मुकदमा उपरोक्त में मृतक पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम खरदाह थाना भुता जिला बरेली ने अपने भाई विनोद की हत्या के मामले में अभियुक्तगण पूरनलाल पुत्र हरदयाल, पवन पुत्र रामऔतार अर्जुन पुत्र हरदयाल निवासीगण ग्राम खरदाह थाना भुता जिला बरेली के खिलाफ पूर्व में मुकदमा लिखाया था और अदालत में गवाही भी दी थी जबकि और दूसरे मुकदमें में सिपिन उर्फ राजू, संतोष व गौरव के खिलाफ गवाही दी थी। परिवारीजन व रिश्तेदारो को पूरनलाल, पवन, अर्जुन को तथा सिपिन उर्फ राजू, संतोष व गौरव को अलग अलग मुकदमों में सजा होने का पूर्ण अंदेशा था । इसलिये एक माह पूर्व पूरनलाल के खरदाह स्थित घर पर पूरनलाल व अर्जुन, सिपिन व विपिन और गौरव तथा देवेन्द्र पुत्र डोरीलाल निवासी मोहम्मदपुर भजा थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत तथा पूर्व प्रधान संतोष पुत्र गोकिल प्रसाद निवासी चंदपुर थाना क्योलड़िया जनपद बरेली व कस्बा भुता के ब्रजेश उर्फ बिरजू पुत्र लालताप्रसाद अवधेश पुत्र नत्थूलाल व रविन्द्र पुत्र दयाशंकर निवासी ग्राम परेवा चुर्रा थाना बिलसण्डा जिला पीलीभीत के साथ षडयन्त्र बनाया था। पूर्व के मुकदमा में सजा व गवाही से बचने के लिये अभियुक्तगण 1.गुड्डू उर्फ भीमसेन पुत्र गोकिल प्रसाद निवासी चंदपुर ख्यालीराम थाना क्योलड़िया जिला बरेली 2.गंगेश पुत्र दामोदरदास 3.अवधेश पुत्र नत्थूलाल निवासीगण ग्राम खरदाह थाना भुता जिला बरेली द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिल कर पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल की हत्या का षडयन्त्र कर योजना बनाई गयी थी। षडयन्त्र के बाद थाना भुता के एक मुकदमें में फरार चल रहा अभियुक्त पूरनलाल पुत्र हरदयाल मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर जेल चला गया था जो कि वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल की हत्या वाले दिन 05.11.2024 की सुबह ही जिला कारागार में अभियुक्तगण गंगेश पुत्र दामोदरदास अवधेश पुत्र नत्थूलाल निवासीगण ग्राम खरदाह थाना भुता जिला बरेली व रविन्द्र पुत्र दयाशंकर निवासी ग्राम परेवा चुर्रा थाना बिलसण्डा जिला पीलीभीत बरेली जेल में पूरनलाल व पवन से मिलने गये थे । दिनाँक 05.11.2024 को पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल गांव में आ रहा है। ऐसी खबर पर जेल में निरुद्ध पवन पुत्र रामऔतार ने अभियुक्तगणों को कहा था कि आज ही तुम सब मिलकर पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल को मार दो नहीं तो हम जेल में ही रह जायेगें। वहीं पर अभियुक्तों ने एक माह पूर्व पूरनलाल के घर पर बनी योजना को अन्तिम रूप देकर दिनांक 05.11.2024 को उसी क्रम में योजनाबद्ध तरीके से बरेली बीसलपुर राजमार्ग पर नवदिया पेट्रोल पम्प के पास पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम खरदाह थाना भुता जिला बरेली की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। गुड्डू द्वारा हत्या कारित करने हेतु असलहा उपलब्ध कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1.गुड्डू उर्फ भीमसेन पुत्र गोकिल प्रसाद उम्र 40 वर्ष निवासी चंदपुर ख्यालीराम थाना क्योलड़िया जिला बरेली
2.गंगेश पुत्र दामोदरदास उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम खरदा इलाका गजनेरा थाना भूटा जिला बरेली
3.अवधेश पुत्र नत्थूलाल उम्र 31 वर्ष निवासीगण ग्राम खरदाह थाना भुता जिला बरेली ।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 447/2024 धारा 191 (2)/191 (3)/190/103(1)/61(2)/351(3) बीएनएस

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह थाना भुता जिला बरेली ।
2. म0उ0नि0 पूजा तोमर थाना भुता जिला बरेली ।
3. हे0का0 698 देवेन्द्र कुमार थाना भुता जिला बरेली ।
4. का0 2781 अमरवीर बंसल थाना भुता जिला बरेली ।
5. का0 22 जपसर थाना भुता जिला बरेली ।
6. म0का0 3124 अंकिता थाना भुता जिला बरेली ।